

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./ 2020-21/ 6441

दिनांक 5/8/21

निमित्त:- 1. अधिशाषी अभियन्ता,

जल संसाधन खण्ड बारां।

विषय :- Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan State-reg.

संदर्भ:- Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Online EDS Date 04.02.2021

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त परियोजना अर्न्तगत जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक F4 (7) (3) राजस्व/01/6028 दिनांक 07.07.2008 से तहसील अन्ता के ग्राम तिखोद के कुल किता 17 रकबा 83.98 है 0 एवं ग्राम पाटुन्दा कुल किता 20 रकबा 202.52 है 0 कुल 286.50 है 0 गैर वन भूमि सैट अपार्ट कि गई थी उस समय उक्त भूमि का यूजर एजेन्सी एवं राजस्व विभाग द्वारा मौके पर कब्जा वन विभाग को नहीं संभलाया गया था।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6807-11 दिनांक 02.06.2014 से उक्त प्रकरण को केन्द्रीय जल अयोग से हाईड्रोलोजिकल स्वीकृती एवं विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रसारित होने के उपरान्त प्रस्ताव को आनलाईन तैयार कर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए को पुनः प्रेषित करने हेतु लिखा गया था।

तदुपरान्त दिनांक 11.09.2017 को प्रकरण परिवेश पोर्टल पर आनलाईन प्रेषित किया गया FP/RJ/IRRIG/27263/2017 प्रकरण पुनः रीओपन होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 489 दिनांक 10.01.2019, 707 दिनांक 16.01.2020, 4136 दिनांक 07.05.2020 से वन विभाग के नाम भूमि को अमलदरामद हेतु लिखा गया था। परन्तु आज दिनांक तक भी इस संबंध में आप द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही प्राप्त गैर वन भूमि का मौके पर सीमांकन कर इस विभाग को हस्तान्तरित की गई है।

उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को आवंटित गैर वन भूमि में से 44.545 है 0 भूमि नौनेरा बेराज के डूब क्षेत्र में आ रही है इस कारण इस कारण उक्त भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराया जाना संभव नहीं है।

इस संबंध में उप वन महानिरीक्षक क्षेत्रीय अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार 44.545 है 0 अतिरिक्त गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। एवं भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली द्वारा दिनांक 04.02.2021 (प्रति संलग्न) से लगाये गये आक्षेप बिन्दु संख्या 1 (b), (c) की पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें उक्त कार्यवाही उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।


(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां